

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1061 / FP/UK/ROAD/141441/2021 देहरादून: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),  
वन अनुभाग-3,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रीताघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6.0 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि०मी०) के 3.555 हे० वन भूमि हस्तान्तरण।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/141441/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3.555 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/ प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल एवं वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,  
(डॉ० कपिल जोशी)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/141441/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/कुमांऊ, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करते रहा जायें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, जनपद-नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।

(डॉ० कपिल जोशी)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

#### भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17- | <p>टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)</p> | <p>प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।</p> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

तिथि : 26-01-2021

स्थान : देहरादून

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम

~~सरकारी मोहर~~  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी  
उत्तराखण्ड, देहरादून।